"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 491] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर 2014— भाद्र 26, शक 1936

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-6/2012/38-2.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 14 के उप-नियम (19) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 1,000/-" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रु. 2000" प्रतिस्थापित किया जाये.
2. नियम 17 के खण्ड (ग) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 500/-" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रु. 1000" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. गुप्ता, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 5-6/2012/38-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-6/2012/38-2, दिनांक 16-09-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. गुप्ता, उप-सचिव.

Raipur, the 16th September 2014

NOTIFICATION

No. F 5-6/2012/38-2.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules. 2005. namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-rule (19) of rule 14, for the word, figure and symbol "Rs. 1000/-", the word and figure " Rs. 2000" shall be substituted.

2. In clause (c) of rule 17, for the word, figure and symbol "Rs. 500/-", the words and figure "Rs. 1000" shall be substituted.

'By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. L. GUPTA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.